

आदेश

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत - 2022 गढ़ी पर मजमें आम पेश  
हुई। तहसीलदार अरथूना की रिपोर्ट पर खातेदार का नाम ~~शुलीम पुत्र अमजी~~ के स्थान पर  
~~शुलीम पुत्र अमजी~~ करने के आदेश दिये जाते हैं।

"राष्ट्रीय लोक अदालत 2022"

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमान शिव प्रसाद महोदय  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
2022 गढ़ी

आदेश

तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर पत्रावली में  
शुलीम का भ्रम देखा गरी किया जा कर पत्रावली फेरफाल सुभाह  
कर वास्तविक रूपत है।

उपखण्ड अधिकारी  
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

